सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 603
16/08/2018

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर का कारा–हस्तक के तहत ही इलाज कराया गया है

– मिथिलेश मिश्रा, महानिरीक्षक, कारा

पटना 16 अगस्त, 2018 :– मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर पे–राधा मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कॉलेज एवं कारा अस्पताल में इलाजरत होने की खबरों के बीच सोशल मीडिया एवं मीडिया के कुछ तबकों में यह दुष्प्रचार भी किया गया कि ब्रजेश ठाकुर को इलाज के नाम पर अस्पताल में रखकर जेल प्रशासन ने ढ़िलाई बरती है। इस संदर्भ में महानिरीक्षक कारा श्री मिथिलेश मिश्रा ने निम्नांकित जानकारियाँ दी :–

1. उल्लेखनीय है कि कारा विभाग गृह विभाग के अन्तर्गत है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अधीन है। मीडिया में इस बात के भी कयास लगाये जा रहे हैं कि यह ढ़िलाई कहीं न कहीं उच्चस्तरीय निदेश के आलोक में हो रही है जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत हैं कारा हस्तक के नियमों के मुताबिक किसी बीमार बंदी को कारा के वार्ड, कारा अस्पताल या आवश्यकता पड़ने पर सदर अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज में इलाज कराये जाने का निर्णय संबंधित काराधीक्षक का होता है। इसके लिए सरकार के स्तर से कोई निदेश नहीं दिया गया है।

2. बंदी ब्रजेश ठाकुर, पे–राधा मोहन ठाकुर के चिकित्सा अभिलेखों से पता चलता है कि दिनांक–03.06.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा बंदी को न्यायिक हिरासत में भेजते समय आवश्यकतानुसार समुचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। कारा में प्रवेश के समय स्वास्थ्य जाँच के क्रम में उच्च रक्तचाप डायबिटीज, हृदय रोग एवं अन्य बीमारी पाई गयी थी।

3. उक्त बीमारी के कारण बंदी ब्रजेश ठाकुर का दिनांक–03.06.2018 से 09.06.2018 तक कारा अस्पताल में ही जाँच कर इलाज किया गया लेकिन बंदी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर दिनांक–09.06.2018 को एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर में भर्ती कर इलाज कराया

गया। एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर में बंदी के स्वास्थ्य में सुधार के पश्चात् पुनः कारा के अस्पताल में ही संसीमित कर दिनांक–14.08.2018 तक इलाज कराया गया।

4. उल्लेखनीय है कि कारा अस्पताल कारा के अंदर स्थित है और इसकी बनावट और सुविधाएँ कैदी वार्ड की तरह ही हैं। कारा अस्पताल में इलाजरत बंदियों को आवश्यकतानुसार मरीज बेड की सुविधाएँ मिलती हैं। बंदी को कारा अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा के अतिरिक्त कोई अन्य अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती है।

5. गौरतलब है कि कारा अस्पताल के द्वारा एवं 11 अगस्त, 2018 को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के साथ आये चिकित्सीय टीम द्वारा बंदी ब्रजेश ठाकुर की स्वास्थ्य जाँच की गयी और कारा अस्पताल में हो रहे इलाज को आवश्यक बताया गया।

7. बंदी ब्रजेश ठाकुर के स्वास्थ्य में सुधार होने के पश्चात् दिनांक–14.08.2018 को कारा अस्पताल से हटाकर साधारण बंदी कक्ष में रखा गया है। कारा प्रशासन ने उपर्युक्त कार्रवाई बिहार कारा हस्तक 2012 के आलोक में चिकित्सकीय परामर्शानुसार किया है। इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई या इसके लिए उच्च स्तरीय निदेश की बात कहना निराधार है।

******